



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
(अपूर्वा होटल, रानीखेत रोड), द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

दूरभाष नं०:- 05966-244171

Email id :- eepmgsydwarahat@rediffmail.com

पत्रांक:- 771/अ.भू./पी०एम०जी०एस०वाई०/2018

दिनांक:- 12/9/18

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा के गजार से क्वैराली, मन्थाचौना से भन्टी, नौला से थिरौली, एवं घापानी से डडूली मोटर मार्ग में वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 32.116 है० वन भूमि के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद अल्मोड़ा में उल्लिखित चार मार्गों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक 32.116 हैक्टेयर सिविल भूमि जो कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत धारचूला तहसील के ग्राम सेला, स्यौंकुरी एवं खेत में राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है का मार्गवार विवरण संलग्न कर प्रस्तुत है।

उक्त सिविल भूमि को प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 688/12-1 दिनांक 20.08.2018 द्वारा वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

पत्रांक:- /पी०एम०जी०एस०वाई०/2018

दिनांक:-

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
2. जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
3. मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० (कु०क्ष०) लो०नि०वि० अल्मोड़ा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि० ज्योलीकोट।
5. प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग पिथौरागढ़/अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक सिविल भूमि का विवरण

क्र०स०	मार्ग का नाम	क्षतिपूरक हेतु आवश्यक क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	स्थल का नाम जहाँ राजस्व विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई है	उपलब्ध कराई गई भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	क्षतिपूरक हेतु आवश्यक क्षेत्रफल एवं राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध सिविल भूमि क्षेत्रफल में आधिक्य	क्षतिपूरक हेतु आवश्यक क्षेत्रफल एवं राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध सिविल भूमि क्षेत्रफल में कमी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-3)	8
1	नौला से थिरोली मोटर मार्ग	10.854	सेला	11.152	0.298 (A) 0.496	-	उक्त कार्य हेतु धारचूला तहसील के ग्राम सेला में 11.152 हे० सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी है जबकि क्षतिपूरक हेतु 10.854 हे० सिविल भूमि की ही आवश्यकता है। इस प्रकार उपलब्ध सिविल भूमि वारंवारिक आवश्यकता से 0.298 हे० अधिक है।
2	घाघानी से उड़ली मोटर मार्ग	6.010 10.692	स्याकुरी	10.890	0.198	-	उक्त दोनों कार्य हेतु धारचूला तहसील के ग्राम स्याकुरी में 10.890 हे० सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी है जबकि क्षतिपूरक हेतु 10.692 हे० सिविल भूमि की ही आवश्यकता है। इस प्रकार उपलब्ध सिविल भूमि वारंवारिक आवश्यकता से 0.198 हे० अधिक है।
3	मन्थावीना से मन्टी मोटर मार्ग	4.882					
4	गजार से क्वैराली मोटर मार्ग	10.620	खेत	10.124 + A (0.496) = 10.620	-	0.496	उक्त कार्य हेतु धारचूला तहसील के ग्राम खेत में 10.124 हे० सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी है। कार्य के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 10.620 हे० सिविल भूमि की आवश्यकता है। इस प्रकार 0.496 हे० भूमि कम पड़ रही है। सिविल भूमि का समायोजन क्र०स० 1, 2 व 3 पर अधिकतम कार्य हेतु प्राप्त अधिक सिविल भूमि से किया जायेगा। इस प्रकार उक्त 04 कार्यों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक 32.116 हे० सिविल भूमि जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील के ग्राम सेला, स्याकुरी एवं खेत में उपलब्ध है। जिसका क्षेत्रफल (एकवा) 32.116 हे० है।
	योग	32.116		32.116	0.496	0.496	


 अधिशासी अभियन्ता
 पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड
 लो०नि०वि० द्वाराछाट
 जनपद-अल्मोड़ा

आदेश।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून द्वारा पी. एम.जी.एस.वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा हाट, जनपद अल्मोड़ा के निम्न मोटर मार्गों के निर्माण में आ रही वन भूमि के बदले क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु 32.116 है० दोगुनी भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण नामान्तरण की शर्त पर सैद्धान्तिक स्वीकृतियां प्रदान की गयी है।

1. गाजर से क्वैराली मोटर मार्ग।
2. घापानी से डडूली मोटर मार्ग।
3. नौला से थिरौली मोटर मार्ग।
4. मनियाचौना से भंटी मोटर मार्ग।

उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/ 2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के आधार पर आयुक्त कुमोऊमण्डल नैनीताल के आदेश संख्या-2894/छब्बीस-06/2017-18 दिनांक 24.07.2018 के द्वारा उक्त मोटर मार्गों के निर्माण में आ रही वन भूमि के बदले क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु ग्राम खेत पट्टी खेत तहसील धारचूला के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या-64 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 3719 रकवा 5.216 है०, 3720 रकवा 0.604 है०, 3730 रकवा 0.251 है०, 3733 रकवा 2.902 है०, 3836 रकवा 1.151 है० कुल 05 खेतों की 10.124 है०, ग्राम सेला, पट्टी दुगू तहसील धारचूला के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या-21 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 13 म० 11.152 है० तथा ग्राम स्यांकुरी पट्टी जुम्मा तहसील धारचूला के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या-140 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 14556 रकवा 1.905 है०, 14558 रकवा 1.128 है०, 14559 रकवा 0.211 है०, 14571 रकवा 0.564 है०, 14635 रकवा 0.314 है०, 14637 रकवा 0.439 है०, 14638 रकवा 0.501 है०, 14639 रकवा 0.376 है०, 14642 रकवा 0.249 है०, 14645 रकवा 0.251, 14646 रकवा 0.501 है०, 14647 रकवा 0.439 है०, 14649 रकवा 0.815 है०, 14650 रकवा 1.003 है०, 14654 रकवा 0.627 है०, 14655 रकवा 0.564 है०, 14663 रकवा 1.003 है० कुल 17 खेतों की 10.890 है० इस प्रकार उक्त 03 ग्रामों के कुल 23 खेतों की 32.116 है० सिविल भूमि, वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

तहसीलदार धारचूला स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक अगस्त 06 2018

(सी०रविशंकर)

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या-2171/सात-45/2017-18

दिनांक अगस्त 06 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी धारचूला।
4. अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई खण्ड लो.नि.वि. द्वारा हाट, जिला अल्मोड़ा।
5. तहसीलदार धारचूला को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कराना सुनिश्चित करें।

(सी०रविशंकर)

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

विभाग VII
पत्रावली संख्या 45
दिनांक 20/8/18
क्रमांक 02
पत्रिका संख्या 1387
20/8/18

उद्धरण खतौनी गिर. ज.वे.)

ग्राम - खेत, पट्टी - खेत, तह - धारचुल्ला जिला - पिथौरागढ़

विषय : - लीतपूर्ति वृत्तरोपण हेतु

श्रेणी - 10(4) - अन्य अकृषिक वंजर भूमि

खता सं.	खतौनी खतेदार का नाम	फसली वर्ष	खसरा न.	हे. (हे.)	विवरण
64	वंजर नाकाबिल आबाद		1	7.400	आयुक्त कुमाऊं में डूंग नैनीताल के आदेश सं. 2894/डूंगर - 06/2017-18 दि. 24/7/18 तथा जिलाधिकारी मधोदय, पिथौरागढ़ के आदेश सं. 2172/स्वात-45/2017-18 दि. 6/8/18 के अनुपालन में खेत सं. 3719 रकबा 5.216 हे., 3720 रकबा 0.604 हे., 3730 रकबा 0.251 हे., 3733 रकबा 2.902 हे., 3836 रकबा 1.151 कुल 5 खेत रकबा 10.124 हे. भूमि वन विभाग के नाम हस्तारण/नामांतरण की स्वीकृति की गई है. ह. अस्पष्ट का. ड. नि. खेत दि. 8/8/18
			2	1.820	
			3	0.143	
			13	0.020	
		क्रमशः खतौनी मुताबिक	3709	0.010	
			3719	5.216	
			3720	0.604	
			3730	0.251	
			3733	2.902	
			3811	0.065	
			3820	0.009	
			3836	1.151	
			3842	0.009	
		क्रमशः खतौनी मुताबिक	5438	0.680	
			1985/5445	0.041	
			2330/5444	0.073	
			2449/5441	0.021	

योग 322 103.926

महोदय,

असल खतौनी से रकम तैयार की.

ड. अ. नि. खेत/पुर्मा
तह. धारचुल्ला

कार्यालय प्रमाणीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234

पत्रांक 688 / 12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 20 अगस्त, 2018।

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण निदेशालय, देहरादून।

विषय:-

जनपद अल्मोड़ा के गजार से कौराली मोटर मार्ग, मन्थाचौड़ा मन्टी मोटर मार्ग, नीला थिरौली मोटर मार्ग व घापानी से डबूली मोटर मार्ग में वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 32.116 हे० वन भूमि का म्यूटेशन।

संदर्भ:-

जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं० 2171/सात-45/2017-18 दिनांक 06-08-2018 उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं० 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दि० 17-12-2012 व प्रस्तावक विभाग की पत्र सं० 673 दि० 13-08-2018।

महोदय,

संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त सं० 1 के क्रम में निम्नांकित मोटर मार्ग में प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 32.116 हे० वन भूमि का म्यूटेशन क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सांयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 32.116 हे० 1- ग्राम सेला, पट्टी-दूतू स्याकुरी, पट्टी-जुम्मा, खेत, पट्टी-खेत, तहसील धारचूला को जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं० 2171/सात-45/2017-18 दिनांक 06-08-2018 से नामान्तरण/हस्तान्तरण कर दिया गया है। उक्त सिविल वन भूमि को प्रशासनिक नियंत्रण में वन विभाग के कब्जे में ले लिया गया है, वर्तमान में उक्त भूमि का स्वामित्व वन विभाग का है।

क्र०सं०	मोटर मार्ग का नाम	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु अवश्यक भूमि (हे० में)	ग्राम का नाम जहाँ सिविल भूमि है
1.	गजार से कौराली मोटर मार्ग	10.620	खेत
2.	मन्थाचौड़ा मन्टी मोटर मार्ग	4.682	स्याकुरी
3.	नीला थिरौली मोटर मार्ग	10.854	सेला
4.	घापानी से डबूली मोटर मार्ग	6.010	स्याकुरी

संलग्न:- यथोपरि।

संख्या:- 688 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि अधिरासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, को०नि०वि० द्वाराहाट,
जिला-अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमाणीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

प्रमाणीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।